



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील सं. 39/23, वंदना पारीक / कुंज बिहार कां.

नम्बर
अहकम
हुकम की
में जा

22/4/25


वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी., प्रा.पत्र धारा 151 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु पेश हुई है। दौरान बहस वकील अपीलांटस का सर्वप्रथम प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी. पर कथन रहा कि अपील विषयक भूमि ख.सं. 40, 55, 56, 59 कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाकेग्राम छत्रपुरा के खातेदार अपीलांटस के पूर्व लाजपतराय दत्ता थे। उनके द्वारा अपील विषयक भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया गया। इस बाबत कोई बेचाननामा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद तथाकथित असत्य बेचान के आधार पर नामान्तरण पर नामान्तरण खोले गये, जो अवैध है। अपीलांटस मूल खातेदार के उत्तराधिकारी है तथा वर्तमान में उक्त भूमि के मालिक है, जो अपीलाधीन नामान्तरण से पीड़ित पक्षकार है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलांटस को नहीं सुना गया। इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलांटस को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

तत्पश्चात वकील अपीलांटस द्वारा रेस्पों. के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.के जवाब में बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण मृतक खातेदार भंवरलाल के स्थान पर उसके वारिसान के पक्ष में खोला गया है। खातेदार लाजपतराय दत्ता के उत्तराधिकारी अपीलांटस है जो पीड़ित पक्षकार है। इस कारण उनको उक्त नामा० के विरुद्ध अपील पेश करने का पूरा अधिकार है इस हेतु अपीलांटस को अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में वकील अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस लम्बे समय से बाहर रहते है। कुछ दिनों से गौरव गोयल से अपीलांटस का सम्पर्क हुआ था तब उसको बताया था कि ग्राम छत्रपुरा में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि हमारी है। जिसकी जानकारी करने पर गौरव गोयल द्वारा दिनांक 28.06.23 को अपीलांटस को बताया कि आपके नाम कोई भूमि नहीं है। इसके बाद सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी कर दिनांक 04.7.23 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल दिनांक 06.7.23 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त आदेश

जिला क्लर्क, बन्दो

नम्बर अहकाम की तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील सं. 39/23, वदना पारीक/कु जबरि/कौ.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अवेध है, अवेध आदेश की कोई मियाद नहीं होती है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में लगी देरी को क्षमा किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा आरआरडी 1991 पेज 218, आरआरडी 2004 पेज 261, आरआरडी 2005 पेज 399,627, आरआरडी 2009 पेज 195 एवं आरआरडी 1998 पेज 319 की नजीरें पेश करते हुए प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 2 द्वारा सर्वप्रथम प्रा0पत्र धारा 151 जा.दी. पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस द्वारा जिस नामान्तरण के विरुद्ध यह अपील पेश की है वह विरासत का नामान्तरण खातेदार भंवरलाल के फोट हो जाने पर उसके वारिसान पक्ष में दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण में न तो अपीलांटस और न ही अपीलांटस के पिता पक्षकार थे और न ही उक्त नामान्तरण से अपीलांटस को कोई लेना देना है। अपीलांटस द्वारा अपील में यह भी अंकित नहीं किया कि वे उक्त नामान्तरण से किस प्रकार से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। बिना धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किये एवं बिना अनुमति प्राप्त किये गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई अपील विधि अनुसार पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 2 द्वारा अपीलांट के प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी. पर आपत्ति प्रकट करते हुये कथन किया कि अपील प्रस्तुती के समय अपीलांटस ने न तो धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया था और न ही इस बाबत अपील में वर्णन किया गया, इसलिए अपीलांटस को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा पेश किये गये धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में इस बाबत आपत्ति प्रकट किये जाने के बाद अपीलांटस द्वारा जवाब में धारा 96 जा.दी. का प्रा.पत्र पेश किया है जो अब इस स्टेज पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलांटस खारिज की जावे। वैसे भी अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह साबित नहीं किया गया कि वे अपीलाधीन नामान्तरण से किस प्रकार से व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर अपीलांटस की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।</p>	



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील सं. 39/23, वेदना पारीक / कुजबिहारी

अन्त में अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपीलांटस के प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर आपत्ति प्रकट करते हुये कथन किया कि नामा.सं. 589 की अपीलांटस व उनके पिता अशोक दत्ता को शुरु से जानकारी रही है, इसके बावजूद भी अशोक दत्ता ने अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरण को कभी चैलेंज नहीं किया। अशोक दत्ता द्वारा उक्त नामा.सं. 152 व 153 को निरस्त किये जाने हेतु अजय गोयल के मार्फत दिनांक 09.09.15 को तहसीलदार बून्दी के यहां तथा दिनांक 11.09.15 को उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां प्रा.पत्र पेश किये थे जिस पर तहसीलदार बून्दी द्वारा जांच की गई थी। अपीलांटस के पिता अशोक दत्ता, गौरव गोयल के पिता अजय गोयल के मार्फत विगत 10-15 वर्षों से कार्यवाहिया न्यायालयों में लड रहे थे। जिसकी पूरी जानकारी अशोक दत्ता के अधिकृत व्यक्ति अजय गोयल के पुत्र गौरव गोयल को रही है। दिनांक 28.06.23 से पहले ही जानकारी होने के बावजूद अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण के विरुद्ध नियत अवधि व मियाद में अपील पेश नहीं की गई। अब 32 वर्ष के बाद तथ्य छुपाकर पेश की गई अपील गंभीर मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।


न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र धारा 96 जा.दी., प्रा.पत्र धारा 151 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरण सं. 599 दिनांक 26.04.1991 वाकेग्राम छत्रपुरा सहखातेदार भंवरलाल आ. बिहारीलाल माली के फोटो हो जाने से उसके 1/4 हिस्से पर वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील सं. 39/2023 दिनांक 11.07.2023 को पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलांटस पक्षकार नहीं रहे है ऐसे में अपीलांटस को अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, किन्तु अपील के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया और न ही अपील में पीडित पक्षकार होने के संबंध में कोई तथ्य अंकित किये गये। रेस्पो. की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में इस पर आपत्ति प्रकट किये जाने के बाद अपीलांटस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी.पेश किया गया है। अपील में अंकित पीडीवृक्ष के आधार पर अपीलांटस को प्रथमदृष्ट्या

जिला कलेक्टर, बून्दी

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील सं. 39/23, वंदना पारीक / कुंजबिहारी



नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


हितबद्ध पक्षकार मानते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा रेस्पोंड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाता है।

जहां तक अपीलांटस के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 599 दिनांक 26.04.1991 को तस्दीक किया गया था। यह नामान्तरकरण ग्राम छत्रपुरा की आराजी खसरा सं. 43, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64 किता 10 कुल रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा के सहखातेदार भंवरलाल आ. बिहारीलाल कौम माली के देहान्त के बाद उसके निहित हिस्सा 1/4 पर उसके वारिसान रेस्पों.सं. 1 व 2 के पक्ष में दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड विरासत के आधार पर परिवर्तित हुआ है, इसके बावजूद भी अपीलांटस द्वारा उक्त कृषि भूमि के कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड की कोई जानकारी दिनांक 28.06.2023 से पूर्व नहीं होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है जो विश्वसनीय नहीं है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांटस द्वारा कोई बेचानपत्र अस्तित्व में नहीं होना बताया है। अपीलांटस द्वारा अपील में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत दिनांक 16.06.1951 को कान्हा व तिखीलाल माली के पक्ष में कोई रजिस्ट्री निष्पादित नहीं हुई थी तथा दिनांक 19.02.1975 को भंवरलाल माली के पक्ष में भी कोई रजिस्ट्री निष्पादित नहीं हुई थी। अपीलांटस द्वारा अंकित उक्त तथ्य का परीक्षण नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी के बेचान के संबंध में विस्तृत साक्ष्य एवं शहादत ली जाकर नियमित राजस्व वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा कार्यवाही किया जाना संभव है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा अपील विषयक कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की 32 वर्षों तक जानकारी नहीं करने का कोई संतोषजनक कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित नहीं किया है। जबकि उक्त गंभीर विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया जाना आवश्यक है।

जिला कलेक्टर, बून्दो



हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील सं: 39/23, वंदना पारीक / कुंजबिहारी कौ.

जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है तथा अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबीदा रेकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़्तर करवाई जावे। आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रिया कुंदी